मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59 ''सी'' विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक / 9003 /NR-4/MGNREGS-MP /11 भोपाल, दिनांक 07 / 09 / 11

प्रति,

कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
जिला समस्त (रतलाम एवं टीकमगढ को छोड़कर) म.प्र.

विषयः– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी भुगतान हेतु वित्त व्यवस्था।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र क्र. 8043 / एनआर–4 / **MGNREGS-MP** / 2011 भोपाल, दिनांक 04.08.11 । छायाप्रति संलग्न

––00––

विषयांतर्गत परिषद् के संदर्भित पत्र के पृष्ठ भाग पर उल्लेखित प्रारूप में, परिषद् के निर्देश होने के बावजूद एक माह तक जानकारी न आना उचित नहीं है। कृपया अनिवार्यरूप से संबंधित प्रपत्र में दिनांक 14.9.2011 तक जानकारी भेजना सुनिश्चित करें।

(नीरज मण्डलोई)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय, भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत गठित पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी–विंग', 59–अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./ 8043 /एनआर-4/MGNREGS-MP/2011 भोपाल, दिनांक 05/08/11

प्रति,

कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
जिला.............................. समस्त (म.प्र.)

सर्वोच्च प्राथमिकता
11 अगस्त 2011

विषयः– **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी भुगतान हेतु वित्त व्यवस्था।**

संदर्भः– **प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. 7778**/NR-4/NREGS-MP/**11 भोपाल दिनांक** 28.07.11.

कृपया उपरोक्त विषय पर प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधोसंदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। पत्र में बिंदु क्र. 4 जो कि जनपद एवं ग्राम पंचायतों के खातों को सर्विस एरिया बैंक में खोले जाने बाबत है। आपके जिले में सर्विस एरिया बैंकों का चिन्हांकन सुनिश्चित करें।

कृपया अपने अधीनस्थ समस्त ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायतों के खातों को सर्विस एरिया बैंक में अविलम्ब खोलने की व्यवस्था करें। साथ ही ऐसे वित्तीय संस्थान जिनके माध्यम से मनरेगा हितग्राहियों को भुगतान होता है (जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक की शाखाएं, पोस्ट ऑफिस एवं ऐसे नेशनलाइज्ड बैंक जिन्हें सर्विस एरिया बैंक घोषित न किया हो) के खातों को भी सर्विस एरिया बैंक में खोलने की कार्यवाही सुनिश्चित करें, जिससे चैक क्लियरेंस में लगने वाले समय को कम किया जा सके। इस प्रक्रिया के जरिये हितग्राहियों एवं भुगतान करने वाली वित्तीय संस्था (बैंक/पोस्ट आफिस इत्यादि) का खाता एक ही सर्विस एरिया बैंक में होने से चैक क्लियरेंस में होने वाले विलम्ब से बचा जा सकेगा क्योंकि इन भुगतान करने वाली वित्तीय संस्थाओं में RTGS या Core Banking के माध्यम से राशि तत्काल हितग्राहियों के खातों में अंतरित हो सकेगी।

इसी परिपेक्ष्य में मनरेगा भुगतान करने वाली वित्तीय संस्थाओं की इस तरीके से मैपिंग की जाए जिससे प्रत्येक 5 कि.मी. की सीमा के अंदर आने वाले समस्त ग्रामों के हितग्राहियों को भुगतान हो सके। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक वित्तीय संस्थान (जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक की शाखाएं, पोस्ट ऑफिस एवं ऐसे नेशनलाइज्ड बैंक जिन्हें सर्विस एरिया बैंक घोषित न किया हो) जहां हितग्राहियों के खाते है, उसके 5 कि.मी. क्षेत्र के अंतर्गत भुगतान की जिम्मेदारी सुनिश्चित हो सके। साथ ही मैपिंग में शेष रहे ग्रामों की सूची सर्विस एरिया बैंक को दी जावे ताकि वहां मोबाइल बैंकिंग, बी.सी.मॉडल, कियोस्क बैंकिंग अथवा Micro-ATM की व्यवस्था कर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

संलग्न प्रपत्र में वांछित जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता को 3 दिवस के भीतर भिजवाने का प्रबंध करें। इस व्यवस्था को अनिवार्य रूप से 15 अगस्त 11 के पूर्व लागू किया जाना है। अतः सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर आपके नियंत्रण में कार्यवाही सुनिश्चित कराएं।

5/8/11

(शिव शेखर शुक्ला)
आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पृ0क्र0/ 8044 /एनआर-4/MGNREGS-MP/2011 भोपाल, दिनांक 05/08/11

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. समन्वयक, राज्य स्तरीय लीड बैंक, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, डाक भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. मैनेजिंग डायरेक्टर, अपेक्स बैंक, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति0जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला पंचायत ....(समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक पालनार्थ, समय सीमा अंतर्गत।

आयुक्त 5/8/11
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद

S.No.	Name of the Service Area Bank (SAB)	Name of the Bank/Post Office/RRB/KGB etc. Distributing wages under Col.2	Name of Villages coming under 5 Km. radius of Bank/Post Office mentioned in Col.3	Name of such Villages which are to be covered Using BC Model/ Mobile Banking / KIOSK Banking by SAB
1	2	3	4	5